रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के0 पी0 सिटी –67/2024–26

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निषपक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215 , 9415074806 , 9415486103

वर्ष – 46 ● अंक – 23 ● कानपुर 1 से 15 दिसम्बर 2024 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

डा0 नन्द लाल सिन्हा की 136वीं जयंती धूम–धाम से सम्पन्न

मनुष्य का जन्म लेना और कालकल्वित होना सामान्य प्रक्रिया है, जो आया है ! वह जायेगा ही !! उसके किये हुये कार्य सदैव याद किये जाते हैं और उनसे प्रेरित होकर भविष्य की नींव रखी जाती है, इतिहास बताता है कि कर्मों से ही व्यक्ति महान बनता है यह विचार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के महान चिकित्सक डा0 नन्दलाल सिन्हा की जयन्ती पर आयोजित कार्यक्रम में डा0 एम0 एच0 इदरीसी चेयरमैन, बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने लखनऊ में आयोजित कायक्रम में व्यक्त किये, डा0 इदरीसी ने कहा कि जो व्यक्ति महान होते हैं उनकी महानता के पीछे उनके किये गये कार्य ही होते हैं और यदि वह कार्य जनहित में किये गये होते हैं तो सदियों तक उन्हें याद किया जाता है, ऐसा नहीं है कि स्व0 नन्दलाल सिन्हा के पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कार्य नहीं हुआ था पहले भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में योग्य व महान चिकित्सकों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिए कार्य किये जिनमें से डा0 एस0 पी0 श्रीवास्तव, डा0 बलदेव प्रसाद सक्सेना, डा0 वी0 एम0 कुलकर्णी (सभी महान यशस्वी) के नाम प्रमुखतः से लिये जा सकते हैं।

डा0 सिन्हा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई उन्होंने कैंसर जैसे असाध्य रोग पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दावेदारी बतायी, साथ–साथ रोगियों को लाभ भी दिया कुष्ठ जैसे गम्भीर रोग पर भी डा0 सिन्हा ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की उपयोगिता सिद्ध की, अब हम सब चिकित्सकों को भी मिलकर उस पुरानी दावेदारी को सिद्ध करके दिखाना है, डा0 इदरीसी ने अतीत को स्मरण करते हुए बताया कि स्व0 सिन्हा के काम करने का ढंग अलग ही था वह बहुत विश्वासपूर्वक अपनी पैथी पर भरोसा करते थे, उन दिनों कैंसर के नाम से लोग काँपते थे, कैंसर जानलेवा बीमारी हुआ करती थी, आज की तरह उत्कृष्ट मशीनें नहीं थीं और न ही कीमोथेरेपी का जन्म हुआ था, कोबाल्ट और रेडियम की किरणों से रोगियों के रोगग्रस्त स्थान पर सिकाई की जाती थी, बात 1973–74 की है जब कानपुर जैसे शहर में डा0 सिन्हां की बड़ी–बड़ी होर्डिन्गें लगा करती थीं जिनमें हाथ का पंजा बना होता था बांई तरफ़ और दांई तरफ़ लिखा होता था ठहरिए ! कोबाल्ट और रेडियम रेज़ लगवाने से पहले कैंसर रोगी मिलें !! यह यहाँ पर लिखने का आशय यह है कि डा0 सिन्हा मान्यता से ज़्यादा काम करने पर ध्यान देते थे उनका मानना था कि काम बोलता है।

हम काम के दम पर मान्यता पायेंगे !
मान्यता मांग कर नहीं मिलती,
कार्य के परिणामों से मिलती है !!

इसका जीता जागता उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की उपयोगिता जाँच के लिए दिये गये कुष्ठ रोगियों के ऊपर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियों का प्रयोग कर उन्हें आराम दिलाया और सरकार को विवश कर दिया कि सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी की उपयोगिता को स्वीकारे, इसी का परिणाम था कि 27 मार्च, 1953 को अर्धशासकीय पत्र जो प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए जारी किया था, यह पत्र सिद्ध करता है कि कार्य की महत्ता श्रेष्ठ है, दुर्भाग्य से आज कार्य के स्थान पर माँगों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, मान्यता एक ऐसा मुद्दा बना दिया गया है और ऐसा वातावरण तैयार कर दिया गया है कि जैसे बिना मान्यता के कार्य ही नहीं किया जा सकता है, जबकि सत्य यह है कि पहले की तुलना में आज कार्य करने में ज़्यादा आसानी है, औषधियों की उपलब्धता भी बढ़ी है माँग और पूर्ति का अनुपात लगभग बराबर है, फिर भी कार्य के प्रति लोगों की रूचि नहीं है तो आइये आज के दिन हम सब चिकित्सक यह संकल्प लें कि इतना कार्य करेंगे जिससे सरकार हमें मान्यता अवश्य प्रदान करेगी, आपको बता दें कि डा0 नन्दलाल सिन्हा का जन्म 30 नवम्बर, 1889 को हुआ था और पूरा देश 30 नवम्बर का दिन सिन्हा जयन्ती के रूप में मनाता हैं।

इसी प्रकार का कार्यक्रम बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के कानपुर कार्यालय में भी आयेजित किया गया बोर्ड के प्रभारी रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद ने कहा कि डा0 इदरीसी ने जो वास्तविक दृश्य अपने वक्तव्य के माध्यम से हमें ऑडियो पर भेजा है निसन्देह उस पर चलकर ही सफ़लता अर्जित की जा सकती है, भावनाओं के लिए स्थान तो है लेकिन कर्तव्यों पर भावनायें हावी नहीं होनी चाहिये, हर व्यक्ति को अपनी योग्यता का मान होता है, हर चिकित्सक को अपनी क्षमतानुसार चिकित्सा करनी चाहिये यदि कार्य में कोई कठिनायी आये तो अपने से वरिष्ठ चिकित्सक से पूछने में कोई परहेज़ नहीं करना चाहिये, एक दूसरे से पूछने में ज्ञानवृद्धि ही होती है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हमें किसी अन्य चिकित्सा पद्धति से स्वयं की तुलना नहीं करनी चाहिये, हम जिस पद्धति के हैं उसी पर गर्व करते हैं और गर्व से कार्य करना चाहिये, आज कार्य को प्रमुखतः दें कल अच्छे परिणाम आपको प्रतिफल देंगे, कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के संयुक्त सचिव डा0 मिथलेश कुमार मिश्रा ने कहा कि परिस्थितियां लाख बदल जायें परन्तु कार्य की गति नहीं बदलनी चाहिये क्योंकि परिस्थितियां समय के वशीभूत होती हैं लेकिन कार्य मनुष्य के अधीन होता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का यह एक दुःखद पहलू है कि यहां पर कामनायें तो हर एक व्यक्ति करता है लेकिन कामना की पूर्ति के लिए जो आवश्यक कार्य हैं उनसे विरत रहता है, हमें कार्य सस्कृति को पुनर्जीवित करना होगा, ऐसे संस्कारों को जन्म देना है जो कार्य को प्रमुखता दें, सिन्हा जयन्ती की सार्थकता मात्र फूल माला चढ़ाकर रस्म आदयेगी से नहीं होनी चाहिये अपितु कार्य करके होनी चाहिये, मान्यता के भूत से ऊपर उठकर कार्य करते हुए मान्यता लेने का प्रयास होना चाहिये जिन लोगों ने आज कार्य करने का संकल्प लिया है वह अपने संकल्प को पूरा करके दिखायेंगे, प्रायः देखा गया है कि संकल्प तो लोग ले लेते हैं परन्तु उसपर अमल नहीं करते हैं।

डा0 सिन्हा के अंतिम शिष्य डा0 वाई आई खान ने कहा कि जो लोग मान्यता की बात करें आप उनसे यह कह सकते हैं कि आप भी काम करें और हमें भी करने दें फिर हम दोनों मिलकर मान्यता की लड़ाई लड़ेंगे, मान्यता तो मिलनी ही है आज नहीं तो कल, परन्तु यदि आज काम नहीं किया तो कल का इंतज़ार व्यर्थ है, आज के दिन की सार्थकता कार्य से है इसलिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य को स्थान दें, कार्यक्रम का समापन करते हुये बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 के प्रभारी रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद ने कहा कि हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने कार्य की महत्ता पर विस्तार से चर्चा की है, हमारे चिकित्सक बहुत सीधे हैं, उन्हें यह बताना चाहिये कि कार्य कैसे किया जाता है ? मेरा सुझाव है कि हर चिकित्सक को चाहिये कि वह अपने पंजीकरण को ठीक करा ले और अपने क्लीनिक के बाहर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक का स्पष्ट बोर्ड लगाये, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों का ही प्रयोग करें और इन्हीं औषधियों से रोगी की चिकित्सा करे, एक बात और है प्रदेश में वैधानिक रूप से चिकित्सा करने के लिए ज़िला पंजीयन अवश्य करायें।

कार्यक्रम को अन्य व्यक्ताओं ने भी सम्बोधित किया, कार्यक्रम का संचालन प्रभारी रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद ने किया, डा0 राम औतार कुशवाहा श्री अनुज शुक्ला एवं श्री शुभम गौतम प्रमुख रुप से कार्यक्रम में उपस्थित थे।

परीक्षा का समय है

संयम बनाये रखें

21 जून, 2011 को भारत सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा , चिकित्ससा, रजिस्ट्रेशन व अनुसंधान के लिये एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया जो प्रत्येक प्रदेश व केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने–अपने राज्यों में लागू करना था यह अति प्रसन्नता का पत्र था, पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथों के मध्य खुशी की लहर फैल गई लेकिन जैसे–जैसे आदेश की प्रति लोगों के हाथों में पहुँची लोगों का दृष्टिकोण बदल गया और इस बार भी वही हुआ जो प्रायः होता रहता है, हमारे साथी संस्था संचालक व संगठन प्रमुःख यह कहने लगे कि यह आदेश मात्र संगठन विशेष के लिये ही है, हम लोग अपने लिये अलग से एक बढ़िया आदेश करायेंगे, यही तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की विडम्बना है कि यहाँ पर बिना टाँग खिंचाई के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता इसीलिये लोग खेमों में बंटे हैं आस्थायें भी अलग–अलग हैं जिसका कि लाभ यह तथाकथित इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सेवक उठाते रहते हैं, सेवा के नाम पर मेवा की इच्छा रखने वालों से हम इससे ज़्यादा अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं ? इसी का परिणाम है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी छिन्न–भिन्न बनी है, विकास के लिये त्याग एवं समर्पण की आवश्यकता होती है सतही तौर पर यह दोनों चीज़ें खूब दिखाई तो पड़ती हैं परन्तु यथार्थ के धरातल पर मानसिकता भिन्न रहती है, विचार भले ही अलग–अलग हों परन्तु जब उद्देश्य एक होता है तब थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो देखना ही पड़ता है।

हमें यह कहने में कदाचित लेश मात्र भी संकोच नहीं हो रहा है मान्यता के लिये सब लोग दावा कर रहे हैं उसके लिये क्या प्रयास किया जा रहा ? यह भी स्पष्ट होना चाहिये, अभी तक जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह मात्र भावनाओं को उभार कर उनका दोहन करना है, मान्यता के विषय में भटका कर हमारे चिकित्सकों को कार्य से विरत किया जा रहा है, मान्यता से खुशी तो मिलती है लेकिन इस खुशी को पाने के लिये सामूहिक प्रयास करने पड़ते हैं, हम सब इलेक्ट्रो होम्योपैथों को यह संकल्प लेना चाहिये कि वे इतना कार्य करेंगे कि सरकार स्वयं हमारे कार्य से प्रभावित होकर हमारी चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान कर दे।

यदि सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कोई कानून बनाती है तो निश्चित रूप से ऐसी तमाम सारी बाध्यतायें होंगी जिनकी पूर्ति हमें ही करनी होगी और जब बात नियमितीकरण की चलेगी तो ऐसी व्यवस्थाओं का पालन करना होगा जो व्यवस्थायें सरकार द्वारा बनायी जायेंगी, जितनी आसानी से हम सब अभी काम कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होंगे, जो भी संगठन या संस्थायें अभी तक अधिकार विहीन हैं उन्हें अपने भविष्य के लिए सचेत होना चाहिये क्योंकि नियमितीकरण का जो रास्ता है वह कानून से होकर जाता है और इसका लाभ उन्हीं संस्थाओं को प्राप्त होगा जो संस्थायें विधि सम्मत ढंग से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए कार्य कर रही हैं।

संयोग से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जितनी भी संस्थायें हैं वह अपना स्वरूप राष्ट्रीय बताती हैं जब कि सच्चाई यह है कि चिकित्सा व्यवसाय में चाहे वह शिक्षा से जुड़ा हो या फिर चिकित्सा उसमें राज्यों को ही प्रमुखतः दी गयी है, उदाहरण स्वरूप मेडिकल काउन्सिल ऑफ़ इण्डिया का स्वरूप राष्ट्रीय है परन्तु कार्य करने के अधिकार राज्य स्तरीय काउन्सिल को ही प्राप्त है जिसे हम स्टेट मेडिकल काउन्सिल के नाम से भी जानते हैं।

मेडिकल काउन्सिल ऑफ़ इण्डिया राज्यों में होने वाले कार्यों की निगरानी करती है व राज्य के हित में समय–समय में होने वाले परिवर्तनों पर सुझाव भी देती है, अभी कुछ वर्ष पूर्व की ही बात है जब एक सर्वे में पता चला था कि उ0प्र0 में चिकित्सकों की कमी है और दन्त चिकित्सकों की संख्या बहुतायत में है, उनके सामने जीवन यापन की समस्या भी है, इन सब बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए कई राज्य परिषदों ने मेडिकल काउन्सिल ऑफ़ इण्डिया को यह सुझाव भेजा कि क्यों न B.D.S. उपाधि धारक चिकित्सकों को तीन साल का ब्रिज कोर्स कराकर उन्हें M.B.B.S. बनाया जाये, यह उदाहरण देने का आशय यहां पर यह है कि प्रमाण पत्रों को देने का अधिकार राज्य स्तरीय होता है परन्तु हमारे यहां इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संस्था संचालक इस सच्चाई को समझना ही नहीं चाहते हैं और बड़े–बड़े दावे करने लगते हैं ऐसी स्थिति में संयम ही हमारी वास्तविक परीक्षा है जब नियमितीकरण की तलवार चलेगी तो बहुत सारी संस्थायें उसके दायरे से बाहर होंगी।

हमें स्वयं कसौटी पर खरा उतरना होगा

हर व्यक्ति का सपना होता है कि वह जिस व्यवसाय से जुड़ा हो वह सम्मानित हो तथा समाज में हर व्यक्ति द्वारा स्वीकारणी हो यदि ऐसा होता है तो उस व्यक्ति का उस व्यवसाय में कार्य करने में मन लगता है तथा अपनी पूरी तन्यमयता के साथ अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में तत्पर रहता है, जहां पर व्यवसाय में कोई परेशानी आती है वह उसको भी दूर करने का प्रयास करता है और प्रयास इस स्तर तक करता है कि उसे सफ़लता मिले।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी व्यवसाय से जुड़े हर व्यक्ति का यह सपना है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास हो और इस चिकित्सा पद्धति को वही सम्मान मिले जो अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों को प्राप्त है, चूंकि समाज में जिन्दा रहने के लिए व अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक होता है कि उसके व्यवसाय की विश्वसनीयता बनी रहे, विश्वसनीयता का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विश्वास रहता है तो व्यक्ति के काम में रूचि और सक्रियता दोनों बनी रहती है जब रूचि और सक्रियता होगी तब कार्य का विकास होता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आज इन दोनों चीज़ों के दर्शन नहीं हो रहे हैं लोग कार्य तो कर रहे हैं लेकिन पूरी रूचि के साथ कार्य नहीं करते इसलिए पूर्ण सक्रियता दिखायी नहीं पड़ती है, जब हम इस बिन्दु पर गम्भीरता से चिन्तन करते हैं तो एक बात स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है कि वर्ष 2003 में जो घटनाक्रम घटा और उसके जो परिणाम सामने आये उसने न केवल चिकित्सकों को बलकि जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्था संचालक थे उनकी मनोदशा में मूलभूत परिवर्तन ला दिया है इसी परिवर्तन का परिणाम है कि उत्साह की कमी और निरन्तरता के प्रति असाधारण भाव का जन्म लेना, इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे–धीरे जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति समर्पित थे उनके मन में अविश्वास ने जन्म ले लिया, और कार्य के प्रति एक नयी संकीर्ण मानसिकता नें जन्म लिया और यहीं से प्रारम्भ हुआ इलेक्ट्रो होम्योपैथी का एक नया अध्याय इस अध्याय ने नई–नई परिस्थितियों को जन्म दिया, कहीं ऊर्जा का प्रवाह हुआ तो कहीं मानसिक स्तर में परिवर्तन आया, वर्ष 2004 से 2011 तक जिन विपरीत परिस्थितियों में हम सब ने सघंर्ष किया वह अपने होने के निशान छोड़ गया है 21 जून, 2011 आते–आते बहुत कुछ बदल चुका था, कुछ साथी उदास होकर छोड़कर चले गये थे कुछ जाने के चक्कर में थे और जो बचे वह भी अन्तरद्वन्द से उबर नहीं पा रहे थे चूँकि जो प्रयास किये जा रहे थे वह उतने सटीक नहीं बैठ रहे हैं जितने की होने चाहिये स्थितियों ने करवट क्या बदली सब कुछ बदल गया अगर बदला नहीं तो वह है हमारी नियति।

आज एक बार फिर स्थिति वहीं पर आकर खड़ी हो गयी है यदि समय रहते हुए इसपर ध्यान नहीं दिया गया तो कल कुछ भी हो सकता है ! आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जितने भी लोग लगे हैं उनकी यही इच्छा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता मिले मान्यता के लिए प्रयास भी किये जा रहे हैं परन्तु परिणाम कुछ भी नहीं आ रहे हैं ! जब प्रयासों के बाद परिणाम नहीं मिलता है तो मन यह सोचने पर विवश हो जाता है कि आखिर वह कौन सी परिस्थितियां हैं जो अपेक्षित परिणाम नहीं लेने दे रही हैं ? यद्यपि यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने में कोई बाधा नहीं है लेकिन वैधानिक रूप से कार्य करने के लिए जो राजकीय सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है वह उत्तर प्रदेश राज्य को छोड़कर अन्य किसी राज्य में दिखायी नहीं पड़ती है उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 जनवरी, 2012 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए शासनादेश जारी कर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से चिकित्सा, शिक्षा, रजिस्ट्रेशन व अनुसंधान हेतु अपनी सहमति दी, बात यदि उत्तर प्रदेश की करें तो वर्ष 2012 में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन का आवेदन देना आवश्यक हुआ करता था हमारे चिकित्सकों ने आवेदन प्रस्तुत भी किये लेकिन उनकी संख्या इतनी नहीं थी जो कि लड़ाई को मज़बूत करती, यहाँ पर भी परिस्थितियां बदलीं पंजीकरण के नियम बदल गये कल तक जो मुख्य चिकित्साधिकारी सभी चिकित्सकों के पंजीयन का आवेदन स्वीकारता था आज वही मुख्य चिकित्साधिकारी मात्र एलोपैथी चिकित्सकों के आवेदन स्वीकार कर रहे हैं।

वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों के लिए अलग व्यवस्था है आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों के लिए आयुर्वेदिक क्षेत्राधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना है होम्योपैथी चिकित्सकों को ज़िला होम्योपैथी अधिकारी के यहाँ आवेदन करना है, जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को पर्तमान में ज़िला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालय में आवेदन करना होता है वैसे तो उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों में बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने ज़िला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालयों का सृजन कर रखा है परन्तु प्रदेश के पूरे 75 ज़िलों में ज़िला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालय नहीं हैं, हमारे प्रतिनिधि ने बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के जिम्मेदारों जब यह प्रश्न किया तो उत्तर मिला कि उत्तर प्रदेश के जिन ज़िलों में ज़िला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालय नहीं हैं वहां के ज़िला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों हेतु क्षेत्रीय कार्यलय की व्यवस्था की गयी है वे अपना ज़िला पंजीयन क्षेत्रीय कार्यालय में दे सकते हैं ज्ञातव्य हो कि ज़िला पंजीयन हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाता है यह व्यवस्था पूर्ण निःशुल्क एवं पारदर्शी है।

ज़िला पंजीयन की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि बिना आवेदन के प्रैक्टिस करना न केवल अवैधानिक है बल्कि प्रदेश में प्रचलित व्यवस्था का उल्लघंन करना है, कल क्या होगा ? यह मात्र कल्पना से पूरा नहीं होगा यदि कल्पना को आकार देना है तो हमें ऐसे कार्य संस्कृति को जन्म देना होगा जो एक नई व्यवस्था को जन्म दें, सरकार से मांगना हमारा अधिकार है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिये कि अधिकार पाने के लिए अपनी योग्यता सिद्ध करनी होती है और जो कसौटियां बनायी गयीं हैं उनपर हमें खरा उतरना भी होगा यदि समय की मांग के अनुरूप हम परिणाम नहीं दे पाये तो हमारी चुनौतियां व्यर्थ हो जायेंगी।

परिस्थितियां पल–पल बदलती रहती हैं सरकार में बैठे अधिकारी की सोच भी बदलती है कभी–कभी तो ऐसा भी होता है जो अधिकारी आज आपके साथ है कल उसकी कलम आपके विरोध में भी हो सकती है यह विरोध आपसे किसी तरह की नराज़गी के कारण नहीं होता है अपितु परिस्थितजन्य होता है, जिस समय अधिकारी को कोई ठोस निर्णय लेना है उस समय परिस्थितियां क्या हैं? हमें पैनी दृष्टि रखनी होगी और यह सतत प्रयास करते रहना है कि परिस्थितियां सापेक्ष रहें और हम हर कसौटी में खरे उतरें।

शासन सत्ता से हम सहयोग और समर्थन की अपेक्षा तो कर सकते हैं लेकिन यह तभी सम्भव है जब हमारा कार्य सर पर चढ़कर बोले, कार्य को कोई नकार नहीं सकता मान्यता कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन जब तक नहीं मिलती है तब तक यह दूर की कौड़ी नज़र आती है, सबसे बाद में सोवा रिग्पा चिकित्सा पद्धति जो एक तिब्बती चिकित्सा पद्धति है और इसे तिब्बती धर्मगुरू दलाईलामा जी का आर्शिवाद भी प्राप्त है सरकार की कसौटी में खरी उतरी और मान्यता मिली।

यह संयोग है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पास किसी ऐसे महापुरूष का आर्शिवाद प्राप्त नहीं है ! जो करना है हमें खुद ही करना है समय अब भी है यदि कमान किसी एक को दे दी जाये और उसे ही महापुरूष मानकर उससे आशीर्वाद की अपेक्षा की जाये तो परिणाम सुखद ही आयेंगे।

चिकित्सक अधिकारिता जागरूकता अभियान की वास्तविकता और आवश्यकता

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति है इसके लिए भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा 21 जून, 2011 व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 4 जनवरी, 2012 को आदेश जारी किये जा चुके हैं इन आदेशों का अनुपालन महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 के पत्र दिनांक 2–9–2013 के अनुपालन में क्रियान्वित हो रहे हैं परन्तु प्रदेश का इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अभी भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, फलतः वह अभी भी स्वयं को असुरक्षित सा महसूस कर रहा है जबकि उसे चिकित्सा व्यवसाय हेतु पूर्ण शासकीय आदेश प्राप्त है, इन परिस्थितियों से उबरने के लिए बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 द्वारा समस्त इलेक्ट्रो होम्योपैथों को जागरूक करने हेतु दिनांक 05 अप्रैल, 2015 से प्रदेश में चिकित्सक अधिकारिता जागरूकता अभियान निरन्तर चल रहा है।

चकित्सक कौन है ? यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सामान्य भाषा में जो चिकित्सा कार्य कर रोगी को रोगमुक्त करे उसे चिकित्सक कहते हैं लेकिन कानूनी भाषा में वैधानिक चिकित्सक वह है जो किसी विधि सम्मत ढंग से स्थापित बोर्ड या परिषद अथवा विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षित, प्रशिक्षित व राज्य में प्रचलित कानूनों के तहत पंजीकृत हो। (ज्ञतव्य हो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति करती है)।

अधिकार क्या है ?

किसी भी विधा में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु चिकित्सक उस विधा में पारंगत व पंजीकृत हो, विधा मान्यता प्राप्त या अधिकार प्राप्त हो। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए 27 मार्च, 1953 को जारी अर्धशासकीय पत्र से स्पष्ट है कि इसे अधिकार प्राप्त है, पत्र के अनुसार आप प्रैक्टिस करें और जनता में लोकप्रियता प्राप्त करें तो सरकार मान्यता देने पर विचार करेगी, इसी प्रकार अधिकारों का सिलसिला चलते–चलते 4 जनवरी, 2012 के शासनादेश के साथ पटाक्षेप प्राप्त कर चुका है परन्तु अधिकारों के साथ–साथ हमें कर्तव्यों का पालन भी करना है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु अनाधिकृत, अप्रशिक्षित व अपंजीकृत चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 25 अप्रैल, 2000 के अनुपालन में योजित माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अवमाननावाद संख्या 820/2002 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री ए0पी0वर्मा मुख्य सचिव, उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28–1–2004 के निर्देशानुसार सभी चिकित्सकों का पंजीयन जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय तथा डिग्री/प्रमाणपत्र प्रदान करने वाली संस्थाओं का पंजीयन प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य **उत्तर प्रदेश के यहाँ होना चाहिये।**

स्थिति बदल चुकी है

दिनांक 05–05–2010 को भारत सरकार का आदेश आया जो एक स्पष्टीकरण मात्र था जिसमें लिखा है **प्रैक्टिस एवं एजुकेशन पर रोक नहीं है,** यदि यह भारत सरकार के आदेश दिनांक 25–11–2003 के प्राविधानों के अनुसार किया जाता है **यह कौन सुनेगा ? कौन देखेगा ?** और **कौन लागू करेगा ?** किसी को सम्बोधित एवं प्रेषित नहीं किया गया है **जैसा कि 25 –11–2003 के आदेश में है,** इहमाई के प्रबल प्रयासों के बाद **21 जून, 2011 को सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रशासनों को अति स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं।**

इसीलिये

तमाम बिन्दुओं पर विचारोपरान्त बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश में अधिकार पूर्वक चिकित्सा करने हेतु वाद संख्या 820/2002 में पारित आदेशों के अनुसार हर चिकित्सक को पंजीयन का आवेदन बोर्ड द्वारा गठित ज़िला/क्षेत्ररीय इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालय में अवश्य प्रेषित करवाया जाये जिसमें हमें सफ़लता भी मिली है।

यह भी जानना आवश्यक

प्रैक्टिस पर न कभी रोक थी और **न है** और **न ही होगी,** क्योंकि राज्य के उचित प्रतिबन्ध के साथ देश के संविधान के अनुच्छेद 19(1)g(6), द्वारा प्रदत्त यह हमारा मौलिक अधिकार है, परन्तु अधिकारों के साथ–साथ कर्तव्य भी होते हैं जिनको जानना मात्र आवश्यक ही नहीं है परन्तु इनका पालन भी करना होगा, इसके लिये विधि मान्य संस्था से अर्हताधारी एवं अधिकृत पंजीकृत होना चाहिये तथा बोर्ड द्वारा गठित ज़िला/क्षेत्ररीय इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालय में पंजीयन हेतु आवेदन प्रेषित होना चाहिये जिससे अवमाननावाद संख्या 820/2002 में जारी आदेश की अवमानना न हो।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 द्वारा
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों व जनहित में प्रसारित

चिकित्सक अधिकारिता जागरूकता अभियान की वास्तविकता और आवश्यकता

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति है इसके लिए भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा 21 जून, 2011 व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 4 जनवरी, 2012 को आदेश जारी किये जा चुके हैं इन आदेशों का अनुपालन महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 के पत्र दिनांक 2–9–2013 के अनुपालन में क्रियान्वित हो रहे हैं परन्तु प्रदेश का इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अभी भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, फलतः वह अभी भी स्वयं को असुरक्षित सा महसूस कर रहा है जबकि उसे चिकित्सा व्यवसाय हेतु पूर्ण शासकीय आदेश प्राप्त है, इन परिस्थितियों से उबरने के लिए बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 द्वारा समस्त इलेक्ट्रो होम्योपैथों को जागरूक करने हेतु दिनांक 05 अप्रैल, 2015 से प्रदेश में चिकित्सक अधिकारिता जागरूकता अभियान निरन्तर चल रहा है।

चकित्सक कौन है ? यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सामान्य भाषा में जो चिकित्सा कार्य कर रोगी को रोगमुक्त करे उसे चिकित्सक कहते हैं लेकिन कानूनी भाषा में वैधानिक चिकित्सक वह है जो किसी विधि सम्मत ढंग से स्थापित बोर्ड या परिषद अथवा विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षित, प्रशिक्षित व राज्य में प्रचलित कानूनों के तहत पंजीकृत हो। (ज्ञतव्य हो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति करती है)।

अधिकार क्या है ?

किसी भी विधा में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु चिकित्सक उस विधा में पारंगत व पंजीकृत हो, विधा मान्यता प्राप्त या अधिकार प्राप्त हो। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए 27 मार्च, 1953 को जारी अर्धशासकीय पत्र से स्पष्ट है कि इसे अधिकार प्राप्त है, पत्र के अनुसार आप प्रैक्टिस करें और जनता में लोकप्रियता प्राप्त करें तो सरकार मान्यता देने पर विचार करेगी, इसी प्रकार अधिकारों का सिलसिला चलते–चलते 4 जनवरी, 2012 के शासनादेश के साथ पटाक्षेप प्राप्त कर चुका है परन्तु अधिकारों के साथ–साथ हमें कर्तव्यों का पालन भी करना है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु अनाधिकृत, अप्रशिक्षित व अपंजीकृत चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 25 अप्रैल, 2000 के अनुपालन में योजित माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अवमाननावाद संख्या 820/2002 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री ए0पी0वर्मा मुख्य सचिव, उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28–1–2004 के निर्देशानुसार सभी चिकित्सकों का पंजीयन जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय तथा डिग्री/प्रमाणपत्र प्रदान करने वाली संस्थाओं का पंजीयन प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य **उत्तर प्रदेश के यहाँ होना चाहिये।**

स्थिति बदल चुकी है

दिनांक 05–05–2010 को भारत सरकार का आदेश आया जो एक स्पष्टीकरण मात्र था जिसमें लिखा है **प्रैक्टिस एवं एजुकेशन पर रोक नहीं है,** यदि यह भारत सरकार के आदेश दिनांक 25–11–2003 के प्राविधानों के अनुसार किया जाता है **यह कौन सुनेगा ? कौन देखेगा ?** और **कौन लागू करेगा ?** किसी को सम्बोधित एवं प्रेषित नहीं किया गया है **जैसा कि 25 –11–2003 के आदेश में है,** इहमाई के प्रबल प्रयासों के बाद **21 जून, 2011 को सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रशासनों को अति स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं।**

इसीलिये

तमाम बिन्दुओं पर विचारोपरान्त बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश में अधिकार पूर्वक चिकित्सा करने हेतु वाद संख्या 820/2002 में पारित आदेशों के अनुसार हर चिकित्सक को पंजीयन का आवेदन बोर्ड द्वारा गठित ज़िला/क्षेत्रीय इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालय में अवश्य प्रेषित करवाया जाये जिसमें हमें सफ़लता भी मिली है।

यह भी जानना आवश्यक

प्रैक्टिस पर न कभी रोक थी और **न है** और **न ही होगी,** क्योंकि राज्य के उचित प्रतिबन्ध के साथ देश के संविधान के **अनुच्छेद 19(1)g(6),** द्वारा प्रदत्त यह हमारा मौलिक अधिकार है, परन्तु अधिकारों के साथ–साथ कर्तव्य भी होते हैं जिनको जानना मात्र आवश्यक ही नहीं है परन्तु इनका पालन भी करना होगा, इसके लिये विधि मान्य संस्था से अर्हताधारी एवं अधिकृत पंजीकृत होना चाहिये तथा बोर्ड द्वारा गठित ज़िला/क्षेत्रीय इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालय में पंजीयन हेतु आवेदन प्रेषित होना चाहिये जिससे अवमाननावाद संख्या 820/2002 में जारी आदेश की अवमानना न हो।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 द्वारा
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों व जनहित में प्रसारित